



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266165  
CG-DL-E-15092025-266165

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 586]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 630(अ).—केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकार) नियमावली, 2023 में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जब से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in), के माध्यम से भेजा जा सकता है। विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकार) संशोधन नियमावली, 2025 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकार) नियमावली, 2023 (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (ख) में, शब्द और अंक "नियम 5" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 3" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (च) में, "अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "अधिनियम;" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

(छ) "अदत्त प्रयोक्ता शुल्क" से अभिप्रेत राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के उपयोग के लिए किसी वाहन द्वारा देय प्रयोक्ता शुल्क है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना ने ऐसे वाहन के गुजरने को रिकॉर्ड किया है, लेकिन वाहन पर वैध या कार्यात्मक फास्टैग नहीं लगे होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के तहत लागू प्रयोक्ता शुल्क प्राप्त नहीं किया है और इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ऐसे वाहन के गुजरने की तिथि और भुगतान किए जाने वाले संगत उपयोगकर्ता शुल्क को इंगित किया गया है।"

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) में, "परिवहन प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "उस राज्य का जहां वह पर्यटक वाहन, जिससे आवेदन संबंधित है, पंजीकृत है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(1) नियम 3 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, परिवहन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण कर सकता है कि:

i. वाहन में आवश्यक वैध दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र मौजूद है और उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित कर का भुगतान किया गया है जहां वाहन पंजीकृत है और कोई बकाया प्रयोक्ता शुल्क नहीं है; और

ii. पर्यटक वाहन संचालक या उसके निदेशक या भागीदार, जैसा भी मामला हो, के पास आधार या कॉर्पोरेट पहचान संख्या या वस्तु और सेवा कर पंजीकरण पहचान संख्या जैसे आवश्यक वैध दस्तावेज हैं, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि ऐसे पर्यटक वाहन संचालक का निवास या व्यवसाय का स्थान उस राज्य में है जहां पर्यटक वाहन पंजीकृत है।

(ख) उप-नियम (5) में, शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "पंद्रह" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"4क. अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकार से संबद्ध सामान्य शर्तें.- प्रत्येक अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकार की शर्तें निम्नलिखित होंगी, उस पर्यटक वाहन के लिए जिसे ऐसा प्राधिकार प्रदान किया जाता है, अर्थात्:—

(1) कि पर्यटक वाहन:

क. गृह राज्य में या तो अपनी यात्रा आरंभ करेगा अथवा अपनी यात्रा, चक्कर लगातु हुए या अन्यथा, समाप्त करेगा, इस शर्त के अध्येधीन कि वाहन गृह राज्य के बाहर पैंतालीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं रहेगा तथा राज्य सरकार द्वारा कमांड और नियंत्रण केंद्रों या राज्य द्वारा स्थापित ऐसे अन्य केंद्रों या व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण निर्माताओं या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी;

ख . स्टेज कैरिज के रूप में संचालित नहीं किया जाएगा;

ग. नियम 10 के अंतर्गत तैयार की गई पर्यटकों की सूची में शामिल नहीं किए गए यात्रियों को न तो सवार करेगा और न ही ठहराएगा;

घ. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 125ज के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण और आपातकालीन बटन से सुसज्जित होना चाहिए; और

ड.. अधिनियम के तहत अपराधों और उल्लंघनों से संबंधित कोई भी चालान, चालान जारी होने की तारीख से तीस दिनों की समयावधि के पश्चात्, वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं होना चाहिए, सिवाय उन अपराधों के मामले में जिन पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजनार्थ, "गृह राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसने अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकार प्रदान किया है।"

6. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उपांत शीर्षक में "पर्यटक" के पश्चात् "और मार्ग का विवरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे तथा उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(1क) अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकार के अंतर्गत पर्यटक वाहन चलाने वाले पर्यटक वाहन संचालक को प्रत्येक यात्रा शुरू होने से पहले, वाहन पोर्टल पर ऐसे पर्यटक वाहन के आरंभ स्थल, गंतव्य और प्रस्तावित मार्ग पर पड़ने वाले राज्यों का विवरण अपलोड करना होगा। गंतव्य और मार्ग को किसी भी चरण में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्थान से कम से कम चौबीस घंटे पहले।”

7. उक्त नियमों में, प्ररूप 1 में, सारणी में,

(i) “आवेदक का नाम” पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“

आवेदक का पता: (यदि आवेदक व्यक्ति है तो आधार या यदि आवेदक कंपनी है तो कॉर्पोरेट पहचान संख्या या किसी अन्य मामले में वस्तु और सेवा कर पंजीकरण पहचान संख्या।)	
---	--

”

(ii) स्तंभ (6) में "बैठने की क्षमता" शब्दों के स्थान पर "बैठने या शयन की क्षमता या इनका संयोजन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, फॉर्म 2 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	पंजीकरण संख्या	फिटनेस प्रमाणपत्र की तिथि और वैधता	बीमा की तिथि और वैधता	वह तिथि जब तक सड़क कर का भुगतान किया गया है	प्रथम पंजीकरण की तिथि	बैठने या शयन की क्षमता या इनका संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

”

[फा. सं. आरटी-16017/2/2018-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2025

**G.S.R. 630(E).**—The following draft rules to further amend the All India Tourist Vehicles (Permit), Rules, 2023 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, Email: comments-morth@gov.in. Any objection(s) or suggestion(s) which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Tourist Vehicles (Permit) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication of the Notification in the Official Gazette.

2. In the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(i) in clause (b), for the word and figure “rule 5”, the word and figure “rule 3” shall be substituted;

(ii) in clause (f), for the words “the Act.”, the words “the Act;” shall be substituted and after clause (f), the following clause shall be inserted, namely,—

“(g) “unpaid user fee” means the user fee payable by a vehicle for use of a section of a National Highway, where the Electronic Toll Collection Infrastructure has recorded the passage of such vehicle but has not received the applicable user fee under the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, due to the vehicle not being affixed with a valid or functional FASTag, and a notice has been issued for the same indicating the of passage of such vehicle and the corresponding user fee required to be paid.”.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), after the words “Transport Authority”, the words “of the State where the tourist vehicle to which the application relates is registered” shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 4,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely,—

“(1) On receipt of an application under rule 3, the Transport Authority may inspect the documents electronically to ensure that:

i. the vehicle has necessary valid documents such as certificate of insurance, certificate of fitness, Pollution Under Control Certificate and has paid the tax prescribed by the State or Union territory where the vehicle is registered and there is no unpaid user fee; and

ii. the tourist vehicle operator or its director or a partner, as the case may be, has necessary valid documents such as Aadhaar or Corporate Identification Number or Goods and Service Tax Registration Identification number, to verify that such tourist vehicle operator has the residence or place of business in the State where the tourist vehicle is registered.”.

(b) in sub-rule (5), for the word “twelve”, the word “fifteen” shall be substituted.

5. In the said rules, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely,—

“4A. General conditions attached to All India Tourist Permits.— The following shall be conditions of every All India Tourist Permit for the tourist vehicle to which such permit is granted, namely:—

(1) That the tourist vehicle shall:

a. either commence its journey, or end its journey, circular or otherwise, in the home State, subject to the condition that the vehicle shall not remain outside the home State for a period of more than forty-five days to be monitored by

the State Government through the Command and Control Centres or such other centre setup by the State or vehicle location tracking device manufacturers or any other agency authorised by the State Government;

b. not be operated as a stage carriage;

c. not pick up or set down passengers not included in the list of tourists prepared under rule 10;

d. be fitted with a vehicle location tracking device and emergency button referred to in sub-rule (1) of rule 125H of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; and

e. not have any challans related to offences and contraventions under the Act due beyond the time period of thirty days from the date of issuance of the challan, in physical or electronic form, except in case of offences instituted for prosecution by a court.”

*Explanation.*— For the purposes of this rule, “home State” means the State which has granted the All India Tourist Permit.”

6. In the said rules, in rule 10, in the marginal heading after “tourists”, “and particulars of the route” shall be inserted and after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely,—

“(1A) A tourist vehicle operator plying a tourist vehicle under the All India Tourist Permit shall upload the particulars of the point of origin, the destination and the States lying on the proposed route of such tourist vehicle, on Vahan portal, before the commencement of each trip. The destination and the route may be modified at any stage, but not less than twenty-four hours prior from departure.”

7. In the said rules, in Form 1, in the table,

(i) after the row “Name of the applicant”, the following row shall be inserted, namely,—

“

Address of the applicant: (Aadhaar in case the applicant is an individual or Corporate Identification Number in case the applicant is a company or Goods and Service Tax Registration Identification Number in any other case.)	
--	--

”

(ii) in column (6) for the words “Seating capacity”, the words “Seating or sleeper capacity, or combination thereof” shall be substituted.

8. In the said rules, in Form 2, for the table, the following table shall be substituted, namely,—

“

Sr. No.	Make of the Vehicle	Registration No.	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to	Date of First Registration	Seating or sleeper capacity, or combination thereof
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

”

[F. No. RT-16017/2/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 302(E), dated the 18th April, 2023.